न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1470 / 2026

गणेश कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार

महनार थाना कांड संख्या–115 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 329(3), 109, 352, 74, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy Not Official

20.07.2026 महनार थाना कांड संख्या–115 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 329(3), 109, 352, 74, 303(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **गणेश कुमार सिंह उम्र–42 वर्ष पेसर–स्व0 मंगल सिंह** साकिन–हसनपुर जुनैद, थाना–महनार, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री कृष्ण कुमार सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–04.03.2026 को रात्री लगभग 10.30 बजे सूचिका एवं उसके पति अपने घर पर थे, होली का दिन था। उसी समय एक राय होकर मारपीट के तहत गणेश कुमार सिंह अपने हाथ में फरसा, गौरी देवी अपने हाथ में हसुआ एवं उनके साथ तीन अज्ञात व्यक्ति लाठी–डंडा लिए हुए थे। सभी दरवाजे पर आकर गाली–गलौज करने लगे। जब सूचिका के पति मनोज सिंह ने गाली देने से मना किया तो गणेश कुमार सिंह ने जान मारने की नियत से अपने हाथ में लिए फरसा से सूचिका के पति के सिर पर वार कर दिया। सूचिका के पति बचने के क्रम में गिर पड़ा तब गणेश कुमार सिंह जान मारने की नियत से कई बार वार किया जिससे उसका दोनों पैर, पीठ तथा शरीर के कई हिस्सा कट गया। जब सूचिका बचाने आयी तो गौरी देवी ने अपने हाथ में लिए हसुआ से उस पर जान से मारने की नियत से उसके गर्दन पर हमला कर दी जिससे बचने के लिए वह अपने हाथ से रोकी तो सूचिका का दाहिना हाथ कट गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने सूचिका का बाल पकड़ कर पटक दिया। गणेश कुमार सिंह ने सूचिका की साड़ी खिंच दिया जिससे उसकी लज्जा भंग हो गई। हो–हल्ला सुनकर जब आस–पास के लोग आने लगे तो गणेश कुमार सिंह घर में रखा बक्सा उठा ले गया जिसमें सोने का हार, झुमका, मंगटीका, नथिया एवं एक जोड़ा कंगन था। सूचिका का गैस स्लेण्डर भी लेकर चले गये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उसे

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1470 / 2026

गणेश कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

20.07.2026

मिथ्या रूप से इस मामला में गांव के राजनीति के कारण फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक और सूचिका का पति आपस में सगे भाई है और वे दोनों एक ही घर में रहते हैं। आवेदक के विरूद्ध महनार थाना कांड संख्या–98 / 2003 लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गाली–गलौज कर सूचिका के पति का फरसा से दोनों पैर, पीठ तथा शरीर के कई हिस्सा काट देने, सूचिका को हसुआ से दाहिना हाथ काट देने, सूचिका का बाल पकड़ कर पटक देने, सूचिका का साड़ी खिंचकर उसका लज्जा भंग करने एवं सूचिका के घर में रखा बक्सा एवं गैस स्लेण्डर उठाकर ले जाने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 25, 26, 27 एवं 28 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचिका का बाल पकड़ कर पटक देने, सूचिका का साड़ी खिंचकर उसका लज्जा भंग करने, सूचिका के घर में रखा बक्सा एवं गैस स्लेण्डर उठाकर ले जाने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। यहां तक कि सूचिका द्वारा अपने बयान में भी इस बात का समर्थन नहीं की है कि उसका बाल पकड़ कर पटका गया और साड़ी खिंचकर उसका लज्जा भंग किया गया और उसके घर में रखा बक्सा एवं गैस स्लेण्डर उठाकर ले गये जो कांड दैनिकी की कंडिका 05 से स्पष्ट है। कांड दैनिकी की कंडिका 36 एवं 37 में जख्मी सरिता देवी (सूचिका) एवं जख्मी मनोज कुमार सिंह का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्मी सरिता देवी (सूचिका) को कोई बाहरी जख्म नहीं पाया गया है और जख्मी मनोज कुमार सिंह को बाएं पैर के निचले हिस्से और जांघ पर खरोंच तथा दाहिने हाथ पर खरोंच पाया गया है और उक्त जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। पुलिस निरीक्षक का पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 33 से विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में खास गोतिया पट्टीदार है और घटना के दिन सूचिका के पति मनोज सिंह एवं गणेश सिंह (आवेदक) के बीच कहा सुनी और गाली–गलौज हुआ जिसमें गणेश सिंह (आवेदक) अपने बड़े भाई मनोज सिंह से पूछ रहे थे कि वह कलकत्ता में था तो उसके खेत में बुआई किया हुआ जई (जानवर को खिलाने वाला घास) काट के जानवर को

Web Copy, not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1470 / 2026

गणेश कुमार सिंह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

20.07.2ग026 खिला दिये और अपने भैंस से क्यों चरवा दिये। इसी बात को लेकर दोनों भाईयों में गाली–गलौज और मारपीट होने लगा। मारपीट के क्रम में मनोज कुमार सिंह जख्मी हो गए। साथ ही इस मामले के सह अभियुक्त गौरी देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए उक्त कांड में धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता का समावेश नहीं पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर सूचिका के पति को फरसा से दोनों पैर, पीठ तथा शरीर के कई हिस्सा काट देने का विशिष्ट आरोप है लेकिन चिकित्सक द्वारा उसे कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित पैर पैर के निचले हिस्से, जांघ एवं दाहिने हाथ पर केवल खरोंच पाया गया है, फरसा से कारित कोई जख्म नहीं पाया गया है जो कांड दैनिकी की कंडिका 37 से स्पष्ट है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त घटना दिनांक–04.03.2026 की है और प्राथमिकी दिनांक–16.03.2026 को दर्ज करायी गई है और विलंब का कोई यथोचित कारण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official